(161)

प्रेषक,

अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव,
प्रबन्ध मण्डल,
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर–208 002

सेवा में,

1– कुलपति, — अध्यक्ष
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर–2

2– प्रमुख सचिव वित्त, — सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

3– सचिव उच्च शिक्षा, — सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

4– सचिव कृषि, — सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

5– कृषि निदेशक, — सदस्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6– निदेशक पशुपालन, — सदस्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

7– डा0 मंगला राय, — सदस्य
अतिरिक्त महानिदेशक (पी),
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।

8– डा0 हरि गोविन्द सिंह, — सदस्य
ग्राम–पुरे बने भदौरिया,
डा0–कौन्हरा, सुल्तानपुर ।

9– श्री बाल चन्द्र मिश्रा, विधायक, — सदस्य
105–म0आ0 वर्ग, केशवनगर,
डब्लू ब्लाक, जूही, कानपुर ।

10–श्री राम आसरे सिंह कुशवाहा, विधायक, — सदस्य
127/809, डब्लू ब्लाक, केशवनगर, कानपुर ।

11–श्री शीतल कुमार बैस, — सदस्य
माडल डेरी एवं कैटिल ब्रीडिंग फार्म,
नारामऊ, जी0टी0रोड, कानपुर।

12–डा0 अजय कुमार अवस्थी, — सदस्य
541/4, न्यू रायगंज, सीपरी बाजार, झांसी।

13–श्री हरि गोविन्द कुशवाहा, — सदस्य
ग्राम व पोस्ट–टेहरौली, झांसी ।

14–श्रीमती संतोष कश्यप, — सदस्य
एच–3, शिवलोक कालोनी, हरिद्वार ।

संख्या: सीएसयपी/सी– 67-80 /बोर्ड–104 दिनांक: सितम्बर 30 ,1997

महोदय,

इस विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत 11–9–1997 को उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ के सभाकक्ष में सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवाही की एक प्रति आपको सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है ।

भवदीय,

(जे0एन0 रैना)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

168

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 104वीं बैठक की कार्यवाही

स्थान : उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद सभाकक्ष, लखनऊ ।

तारीख : सितम्बर 11, 1997

समय : 11.00 बजे पूर्वान्ह

उपस्थिति :

1– डा0 राम नाथ	– कुलपति एवं अध्यक्ष
2– डा0 रमेश यादव, आई0ए0एस0 कृषि सचिव	– सदस्य
3– श्री डी0एन0 तिवारी, विशेष सचिव (वित्त)	– सदस्य
4– डा0 ए0के0 सिंह, निदेशक पशुपालन	– सदस्य
5– डा0 ए0के0 अवस्थी	– सदस्य
6– डा0 एच0जी0 सिंह	– सदस्य
7– श्री बालचन्द्र मिश्रा, विधायक	– सदस्य
8– श्री राम आसरे सिंह कुशवाहा	– सदस्य
9– श्री एस0के0 बैस	– सदस्य
10–श्री हरिगोविन्द कुशवाहा	– सदस्य
11–श्रीमती संतोष कश्यप	– सदस्य

मद सं0–1 : प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 23–5–1997 को सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवृत्ति का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 3–1–1997 को सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवृत्ति का अनुमोदन करते समय दिये गये निर्देशों के उपर पुनः निम्नलिखित कार्यवाही करने का निर्णय लिया ।

मद सं0–3: डा0 आर0पी0 सिंह, प्रोफेसर पोल्ट्री साइंस को दिनांक 6–7–96 से 2 वर्ष अथवा इससे पूर्व सेवा निवृत्त की तिथि जो भी पहले हो, के लिये उ0प्र0 सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव ।

डा0 आर0पी0 सिंह की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी जाये और उन्हें विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु एक माह का समय दिया जाय ।

मद सं0–4: डा0 एम0 शाबिर, आचार्य फार्माकोलाजी, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा को स्वास्थ्य मन्त्रालय, कुवैत में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति का प्रस्ताव ।

डा0 शाबिर के विदेश में रहने के कारण विश्वविद्यालय को कोई क्षति तो नहीं हो रही है, के संदर्भ में वस्तुस्थिति ज्ञात कर ली जाये ।

---2

159

मद सं0-5: कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में रिक्त पदों पर नियुक्तियां न हो पाने के कारण उत्पन्न समस्या पर विचार ।

विश्वविद्यालय से इस संदर्भ में जो पत्र कुलाधिपति जी को भेजा गया है, उसके बारे में निर्देश दिये गये कि कुलाधिपति को एक संशोधित पत्र सभी तथ्यों का समावेश करते हुये भेजा जाये जिसमें अनुसचिव कृषि श्री जगन्नाथ तिवारी के पत्र का उल्लेख भी हो ।

मद सं0-10: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव ।

पूरक-1: प्रबन्ध मण्डल की 99वीं बैठक दिनांक 6-12-95 मद सं0 पूरक-1 द्वारा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की वरिष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु गठित समिति के पुर्नगठित किये जाने के परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान करना ।

प्रबन्ध मण्डल ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित समिति गठित की-

1- कुलपति	- सभापति
2- श्री बालचन्द्र मिश्रा, विधायक	- सदस्य
3- अनुसचिव कृषि उ0प्र0 शासन	- सदस्य
4- डा0 के0एस0राठी, अधिष्ठाता, कृषि संकाय	- सदस्य
5- डा0 जी0 चन्द्रा, अधिष्ठाता, पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा ।	- सदस्य

इस समिति के संयोजक कुलपति स्वयं नियुक्त करेंगे । उक्त समिति को कार्य पूरा करने हेतु दो माह का समय दिया गया ।

पूरक-2: सहायक अभियन्ता वर्कशाप तथा इक्सटेंशन वेतनमान रु0 2200-4000 का पद सहायक अभियन्ता विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स वेतनमान रु0 2200-4000 में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

पूरक-4: विश्वविद्यालय में सृजित नेमोटोलाजिस्ट के पद का सहायक प्राध्यापक (टिशू कल्चर) के पद में परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव ।

पूरक-5: विश्वविद्यालय में सृजित आयल केमिस्ट्र के पद को सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर) के पद में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव

प्रबन्ध मण्डल की 103वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्ताव शासन को भेजा जाय ।

पूरक-3: डा0 मोती सिंह, सह-प्राध्यापक, उद्यान विज्ञान विभाग को दिनांक 1-5-94 से 31-5-96 तक की अवधि के वेतन भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

इस संदर्भ में जांच अधिकारी श्रीमती संतोष कश्यप से जांच रिपोर्ट 26-9-97 तक उपलब्ध कराने को कहा गया और केस

--3

158

को 15 दिन के अन्दर अन्तिम रुप देने का निर्णय लिया गया और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक डा0 सिंह का केस फाइनल नहीं हो जाता है तब तक इन्हें निदेशक प्रसार के साथ सम्बध्द कर दिया जाय ।

पूरक-7: शासनादेश संख्या-840/12-8-400(19)/84 दिनांक 10-9-84 के अर्न्तगत सेलेक्शन ग्रेड पाये सहायक प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक पदनाम दिये जाने का प्रस्ताव

छूटे हुये मामलों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि चयन समिति की बैठक आयोजित करके उन्हें भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये चयन की कार्यवाही को अन्तिम रुप दिया जाये और जो दो लिफाफे बन्द हें, उन्हें भी खोला जाये । प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक करके उसमें प्रस्तुत किया जाये

मद सं0-2: शैक्षिक पदों पर विश्वविद्यालय परिनियम के अध्याय-13(9) के अन्तर्गत प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार करने का प्रस्ताव ।

नियुक्तियों पर अनुमोदन न देने की कार्यवाही की पुष्टि की तथा यह निर्णय लिया गया कि गलत कार्य एवं विज्ञापन जिनके कारण नियुक्तियां की गयी थी, जिस अधिकारी या कर्मचारी के कारण हुआ हो, उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करके प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया जाय ।

मद सं0-3: विज्ञापन संख्या-6/96 पर माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही एवं नियुक्तियों हेतु साक्षात्कार के बन्द लिफाफों एवं की गयी नियुक्तियों के सम्बन्ध में विचार ।

मद सं0-4: विकास भवन, कानपुर नगर हेतु एक एकड़ अतिरिक्त भूमि हस्तान्तरण किये जाने का प्रस्ताव ।

मद सं0-5: कृषि अभियन्त्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने उपरोक्त तीनों प्रस्तावों पर लिये गये निर्णय की पुष्टि की

मद सं0-6: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव ।

पूरक-1: सेवा निवृत्ति की आयु पूरी करने के माह में अन्तिम दिनांक को सेवा निवृत्त किया जाना ।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय की पुष्टि की ।

पूरक-2: श्री पी0एन0 द्विवेदी, रिप्रोग्राफिक सहायक को आदेश संख्या:सीएसयूएच-6212/97 दिनांक 13-2-97 द्वारा दी गयी प्रोन्नति की वैधता पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय की पुष्टि की तथा यह निर्देश दिये कि निम्नलिखित सूचनायें प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये -

(1) इस सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध मण्डल को गलत तथ्यों से अवगत कराया गया था ?

(2) यदि हॉ तो इसकी जिम्मेदारी निश्चित करके अवगत कराया जाये ।

--4

(157)

पूरक-3: कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री चतुर सिंह एवं श्री ज्ञान सिंह का विश्वविद्यालय की सेवा में समायोजन किये जाने के विरुध्द शिकायत पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय की पुष्टि की ।

मद सं0-2 : वित्त उप समिति की दिनांक 14-7-1997 को सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवाही पर विचार ।

मद सं0-1: वित्तीय वर्ष 1996-97 का पुनरीक्षित तथा वर्ष 1997-98 का अनुमानित आयोजनेत्तर, आयोजनागत तथा इटावा महाविद्यालय (आयोजनागत) के आय-व्ययक का अनुमोदन ।

"बजट जांच समिति" की अनुसंशा पर "वित्त उप समिति" द्वारा लिये गये निर्णय पर अपना अनुमोदन प्रदान किया । वित्त उप समिति द्वारा कुलपति के विवेकाधीन कोष हेतु अनुसंशित राशि रु0 25,000/- को बढ़ाकर रु0 50,000/- करने का निर्णय लिया गया ।

आकस्मिक व्यय के लिये अनुसंशित राशि में से क्र0सं0 16, 28 व 36 पर अंकित राशि के उचित उपयोगार्थ निम्नलिखित निर्देश दिये गये -

16- उपकरण एवं साज सज्जा की व्यवस्था उचित होनी चाहिये ।

28- प्रक्षेत्रों का विकास: यह निर्देश दिया गया कि उद्यान विभाग का नलकूप व सिंचाई की नालियों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर की जाये ।

36- ट्रैक्टरों का क्रय : यह निर्देश दिया गयाकि अच्छे एवं आधुनिक किस्म के ट्रैक्टर का क्रय किया जाये और यदि आवश्यकता समझी जाय तो यू0पी0 एग्रो से भी परामर्श ले लिया जाये ।

मद सं0-2: वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के परीक्षण हेतु समिति का गठन एवं वर्ष के प्रथम तीन माह (अप्रैल,97 से जून,97) के लिये लेखानुदान की स्वीकृति के प्रस्ताव की कार्यवाही की पुष्टि ।

मद सं0-3: परियोजना अधिकारी, कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा को रु0 10,000/- की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

मद सं0-4: विश्वविद्यालय के अधिकारियों/विभागाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार दिये जाने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुसंशा पर अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं0-5: प्रसार निदेशालय के नियन्त्रणाधीन अतिथि गृहों के किराये की दरों के पुनः निर्धारण हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुसंशा पर निर्णय लिया कि अतिथि गृह केवल विश्वविद्यालय के स्टाफ एवं उनके परिवारों को शादी विवाह के लिये दिये जायं बाहरी लोगों को अतिथि गृह नहीं दिये जायेंगे । विशेष परिस्थितियों में कुलपति को निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया । किराया बढ़ाने की अनुसंशा को निरस्त किया गया ।

मद सं0-6: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत "आल इण्डिया कोआर्डिनेटेड लांग टर्म फर्टीलाइजर इवसपेरीमेन्ट प्रोजेक्ट" को विश्वविद्यालय में लागू करने के प्रस्ताव पर विचार ।

-----5

(156)

मद सं0-7: Approval of ICAR Pilot Project on Technolog Assesment & Refinement through Institution Village Linkage Programme (IVLP) for the year 1996-98.

मद सं0-8: विश्वविद्यालय के वी0आई0पी0/आफिसर्स अतिथि गृह के किराया दरों का पुनःनिर्धारण

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुसंशा पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं0-9: डा0 वी0सी0 पाल, सह-प्राध्यापक को फ्रान्स में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने की अनुमति एवं उस पर हुये व्यय रु0 80,448.80 पैसे की भुगतान करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ।

मद सं0-10: डा0 सी0एन0 चौबे, प्राध्यापक/मुख्य धान्यविद् एवं विभागाध्यक्ष को नवम्बर, 1996 में उत्तर पूर्वी थाइलैण्ड में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने की अनुमति एवं उस पर हुये व्यय रु0 62,564.78 पैसे को भुगतान करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ।

मद सं0-11: डा0 जी0पी0 श्रीवास्तव, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, कृषि जीव रसायन विभाग को रुस में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में दिनांक17-6-96 से 21-6-96 तक भाग लेने की औपचारिक अनुमति एवं उस पर व्यय हुयी राशि रु0 1,06,965.00 के भुगतान करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ।

मद सं0-12: डा0 आर0के0 सिंह, सहायक प्राध्यापक, कृषि अर्थशास्त्र विभाग को कैलिफोर्निया में दिनांक अगस्त 10 से 16, 1997 तक आयोजित कृषि आर्थशास्त्रियों की 23वीं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के प्रस्ताव पर विचार ।

मद सं0-13: डा0 (मिस) नीलमा कुँवर, सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा) को मान्ट्रियल (कनाडा) में जुलाई 27 से अगस्त 01, 1997 तक आयोजित 16वीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने के प्रस्ताव पर विचार ।

वित्त उप समिति की अनुसंशा पर विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्न सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही भुगतान हेतु कार्यवाही की जाये -

(क) कौन सा पेपर पढ़ने गये थे ?

(ख) पेपर पर दो एक्सपर्ट की क्या राय है ?

(ग) क्या विश्वविद्यलय कार्य से गये या व्यक्तिगत कार्य से ?

(घ) जिस विषय के अध्यापक हैं, उसी का पेपर है या अन्य ?

मद सं0-14: विश्वविद्यालय में निर्धारित वेतनमान रु0 1800/~~2200~~ 1650 प्रतिमाह में रिसर्च एसोसिएट के रुप में कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान रु0 700-1600 में नियमित नियुक्ति किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रस्ताव अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया ।

मद सं0-15: विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता को मोटर साइकिल/स्कूटर का वाहन भत्ता स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव ।

मद सं0-16: कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के लिये एक आवासीय टेलीफोन एस0टी0डी0 सुविधा सहित स्वीकृति का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुसंशा पर अनुमोदन प्रदान किया ।

---6

155

मद सं0-17: श्री सुदामा प्रसाद, चपरासी, प्रस्थापना विभाग में कार्यरत के पुत्र राहुल की चिकित्सा पर हुये व्यय रु0 12,257.50 मात्र के भुगतान पर विचार ।

मद सं0-18: श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी, सहायक आचार्य, जीवाणु विज्ञान विभाग, पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा द्वारा पत्नी की चिकित्सा पर हुये व्यय रु0 9,457.00 की प्रतिपूर्ति हेतु विचार ।

मद सं0-19: डा0 ए0एस0 वार्ष्णी, निदेशक शोध के स्वयं की चिकित्सा पर व्यय रु0 1,49,647.50 मात्र के भुगतान पर विचार ।

मद सं0-20: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार ।

पू0-1: श्री एस0एस0 यादव, कुलपति के तकनीकी सचिव, कुलपति कार्यालय के स्वयं की प्राइवेट संस्था, मरियमपुर अस्पताल, शास्त्रीनगर, कानपुर में करायी गयी चिकित्सा पर हुये व्यय रु0 4,957.00 मात्र के भुगतान पर विचार (हार्निया आपरेशन) ।

पू0-2: चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वयं या परिवार के सदस्यों की चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुसंशा पर अनुमोदन प्रदान करते हुये निर्देश दिया कि भुगतान उचित परीक्षण के उपरान्त किया जाय ।

पू0-3: Agenda note for accepting the grant offered by M/S Kanoria Chemical and Industries Ltd. for conducting research in the Deptt. of Entomology.

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुसंशा पर अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं0-3: डा0 राम नाथ, सह-प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान के कुलपति के पद पर नियुक्त होने के फलस्वरुप दिनांक 7-7-1997 के अपरान्ह से कार्यमुक्त किये जाने तथा धारित पद पर तीन वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 राम नाथ, सह-प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग की कुलपति के पद पर नियुक्त होने के कारण उनको दिनांक 7-7-1997 से 3 वर्ष का धारणाधिकार धारित पद पर स्वीकृत करते हुये कार्यमुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं0-4: नेशनल सीड प्रोडक्शन योजना को सुचारु रुप से चलाने हेतु उचित व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव

नेशनल सीड प्रोडक्शन योजना को सुचारु रुप से चलाने हेतु यह निर्णय लिया गया कि एक एसोसियेट डाइरेक्टर शोध को कुलपति अपने विवेक से नियुक्त करें जो कि प्लान्ट ब्रीडर हो ।

मद सं0-5: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन शोध परियोजना का अनुमोदन ।

प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।

..7

(184)

मद सं0-6: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव ।

पूरक-1: वर्तमान में विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मजदूरी की दरें पुनरीक्षित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया (संलग्नक-क) और निर्देश दिया कि मजदूरी का एरियर शासन से अतिरिक्त राशि मांगने पर उपलब्ध हो जाने पर भुगतान किया जाय ।

पूरक-2: प्रबन्ध मण्डल की 58वीं बैठक के मद सं0-58:एस-14 दिनांक 19-10-85 में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रदत्त अवकाश नकदीकरण की सुविधा को शासन के पत्र संख्या-1808/12-8-1506/95 दिनांक 14-3-97 द्वारा किये गये अतिक्रमण से अवमुक्त रखने के अनुमोदन का प्रस्ताव ।

पूरक-3: चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के वाहन चालकों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में लिये गये विशिष्ट निर्णय के अन्तर्गत कृषि विभाग के वाहन चालकों की भांति वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव ।

पूरक-4: चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के उन वाहन चालकों को जिन्हें माह के द्वितीय शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी सरकारी कार्य करना पड़ता है, उन्हें उनकी कठिन सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 दिन के मूल वेतन के बराबर मानदेय दिये जाने हेतु प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने उपरोक्त प्रस्तावों पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि कथित सुविधायें यदि उ0प्र0 के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में प्रबन्ध मण्डल के निर्णय के उपरान्त प्रदान की जा रही हो तो कथित सुविधायें विश्वविद्यालय में भी प्रदान कर दी जाये ।

बैठक के अन्त में प्रबन्ध मण्डल ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये -

1- बैठक के निर्णयों पर यदि किसी सदस्य का पत्र प्राप्त होता है तो उसकी प्राप्ति स्वीकार करते हुये उसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

2- सदस्यों को बैठक की सूचना एवं सामग्री समय से उपलब्ध करा दी जाय ।

3- बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव, लिया गया निर्णय एवं उस पर कृत कार्यवाही का विवरण भी उपलब्ध कराया जाये ।

4- विश्वविद्यालय के अभिलेखों का रख-रखाव सुचारु रुप से सुनिश्चित किया जाये ।

5- प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव विभागाध्यक्ष के माध्यम से कुलपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात प्रस्तुत किया जाये ।

6- जिन 161 शिक्षकों को पदनाम दिये जाने पर आपत्ति की गयी है, उनको अतिशीघ्र चयन/स्क्रीनिंग समिति द्वारा पदनाम देने की प्रक्रिया पूरी की जाय ।

7- विश्वविद्यालय के पेंडिंग कोर्ट केसेज के बारे में निम्न प्रारुप पर सूचना उपलब्ध करायी जाय-

-----8

153

वाद सं0 एवं विवरण	वाद का वर्ष	क्या स्थगन आदेश प्राप्त हो गया है	विश्वविद्यालय अधिवक्ता का इस सम्बन्ध में प्रयास
1	2	3	4

8- विभागों का एकीकरण करके एक ही आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को बनाया जाये ।

9- मथुरा प्रांगण एवं इटावा प्रांगण पर एस0टी0डी0 सुविधा उपलब्ध करायी जाये ।

10- पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बृध्दि को दृष्टिगत रखते हुये मितव्ययता की दृष्टि से निम्नलिखित अधिकारियों को ही वाहन आवंटित किये जायं -

(1) अर्थ नियन्त्रक (2) निदेशक शोध (3) निदेशक प्रसार (4) अधिष्ठाता, कृषि संकाय (5) कुलसचिव (6) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण (7) निदेशक निर्माण (8) अधिष्ठाता, कृषि अभियन्त्रण (9) अधिष्ठाता, पशुपालन संकाय, मथुरा ।

11- यदि होम साइंस का अध्यक्ष प्लान्ट ब्रीडर है तो उसे वहां से हटाया जाये और उसके स्थान पर कुलपति अपने विवेक से सुपात्र व्यक्ति को रखें ।

12- होम साइंस विभाग के वर्तमान लिपिक को हटाया जाये ।

13- प्रेस मैनेजर के सम्बन्ध में प्राप्त वैधानिक राय को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

14- प्रबन्ध मण्डल की 23-5-97 की बैठक में मद सं0-2 के संदर्भ में लिये गये निर्णय, जिसकी पुष्टि वर्तमान बैठक में की जा चुकी है, के संदर्भ में कुछ सदस्यों ने जिज्ञासा व्यक्त की कि कुलपति की अनुमति से इस प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत कर सकते है

बैठक अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ समाप्त हो गयी ।